भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/9/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 18.08.2017

To,

1. The Commissioner cum Secretary,
SC & ST Welfare Department,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal, (Madhya Pradesh)

2. Collector,
District- Chhindwara,
(Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit District-Chhindwara, Madhya Pradesh State on 27.03.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit District-Chhindwara, Madhya Pradesh State on 27.03.2017 for information and necessary action.

5744-46
28/8/17 O/C

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

सुश्री अनुसूईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 27–03–2017 को छिंदवाड़ा जिले में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने संबंधी रिपोर्ट

1. शासकीय महाविद्यालय बिछुआ जिला–छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के भूगोल विभाग द्वारा "भारत में जनजातीय विकास परिदृश्य, समस्याएं एवं संभावनाएं" विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी की रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके ने दिनांक 27–03–2017 को शासकीय महाविद्यालय बिछुआ जिला–छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के भूगोल विभाग द्वारा "भारत में जनजातीय विकास परिदृष्य, समस्याएं एवं संभावनाएं विषय" पर आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया। माननीया उपाध्यक्ष इस संगोष्ठी की मुख्य अतिथि थीं। संगोष्ठी में पंडित रमेश दुबे, विधायक, विधानसभा क्षेत्र चौरई ने भी भाग लिया। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ जिला–छिंदवाड़ा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्ध है। ये संगोष्ठी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यादव, प्रोफेसर तथा प्रधान परा स्नातक भूगोल विभाग द्वारा आयोजित की गई। प्रोफेसर वाय.जी. जोशी, भूतपूर्व अध्यक्ष, एनएजीआई द्वारा इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की गई जिसमें प्रोफेसर एस.के. शर्मा, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विष्वविद्यालय सागर, प्रोफेसर बी.सी. वैद्य, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, प्रोफेसर एस.के. शुक्ला, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, प्रोफेसर एस.एस. वर्मा, गोरखपुर, प्रोफेसर एम.पी. गुप्ता, प्रोफेसर सरला शर्मा, प्रोफेसर जेड.टी. खान, प्रोफेसर अनुसूइया बघेल, पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग., डॉ. जगन कुमार रेड्डी तिरूचिरापल्ली विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, प्रोफेसर आर.पी. तिवारी, टीकमगढ़, प्रोफेसर डी.पी. नामदेव, प्रोफेसर राजवंष कौर कोहली, रायपुर तथा प्रोफेसर डी.डी. विश्वकर्मा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने भाग लिया।

संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय की छात्राओं के स्वागतगान के साथ हुआ। मंचासीन सभी अतिथियों का महाविद्यालय की ओर से पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात् माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूइया उइके ने दीप प्रज्जवलन कर संगोष्ठी का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर यादव ने महाविद्यालय द्वारा संगोष्ठी करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला एवं मंचासीन सभी विद्वानों का स्वागत किया उन्होंने आशा प्रकट की कि यह संगोष्ठी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक व बौद्धिक विकास में लाभप्रद होगी। संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं एवं उनके विकास पर संक्षेप में अपने विचार रखे।

संगोष्ठी की मुख्य अतिथि माननीया उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके ने उपस्थित अतिथियों, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर गण एवं छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में जानकारी दी। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली, उसके अधिकार क्षेत्र आदि के विषय में संक्षेप में जानकारी देते हुए कहा कि यह एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड है जिसमें विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहां के जनजाति वर्ग ने बाह्य सभ्यता के कुछ तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात् भी अपनी मौलिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिया है। आदिवासी समाज कृषि से जुड़ा हुआ है तथा आज भी पारंपरिक तरीकों से ही कृषि करते हैं। इस समाज से शिक्षा पाकर निकले युवा आज न केवल मुख्यधारा में हैं बल्कि समाज का नेतृत्व भी कर रहे हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने यह भी विशेष रुप से उल्लेख किया कि उनके पूर्वज इसी तहसील में निवासरत रहे हैं एवं उनका बाल्यकाल भी इसी क्षेत्र का है। उन्हें प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण कर मुख्य धारा में आने वाले युवक–युवतियां भारत देश की आधुनिक विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में यह भी जानकारी दी कि इस आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 का संशोधन करके और संविधान का 89 वां संशोधन अधिनियम 2003 में एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़कर की गई है। जिसका कार्य जिसमें अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक रूप से प्राप्त सुरक्षणों का कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना है। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिये गये सुरक्षणों एवं आदेश तथा निर्देश से संबंधित सभी विषयों पर अन्वेषण करता है तथा अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने पर उनके द्वारा भेजी गई शिकायतों की जांच का कार्य भी करता है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना एवं उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना भी आयोग का कार्य है। आयोग प्रतिवर्ष अपने द्वारा किये गए कार्यों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है जिसे संसद में रखा जाता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने आयोग की शक्तियों का भी संक्षेप में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि आयोग को शिकायतों की जांच करते समय दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी अदालत को मुकद्में को चलाने के लिए प्राप्त होती हैं। उन्होंने बताया कि आयोग को भारत के किसी भी भाग के किसी व्यक्ति को सम्मन करने के अधिकार हैं। साथ ही वह किसी भी विभाग से किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण करवा सकता है। उन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें आदिवासियों पर किये गये अत्याचार की शिकायत करने पर, इस अधिनियम की धारा के लगाने पर गैर जमानती वारंट निकाले जाते हैं।

माननीया महोदया ने छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस विकासशील क्षेत्र में यदि इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं जैसे–विकास, शिक्षा अथवा नौकरी से जुड़ी, तो वे सीधे आयोग में अपनी समस्याएं किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आयोग उनकी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है।

2. <u>बिछुआ तहसील की आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित आदिवासी सम्मेलन का विवरण</u>

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा संगोष्ठी में भाग लेने के उपरांत वे तहसील बिछुआ के आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन में भी पहुंची जहां पर वे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई थीं। आदिवासी विकास परिषद, जिला छिंदवाड़ा के पदाधिकारियों द्वारा माननीया उपाध्यक्ष महोदया का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान हेतु माननीया उपाध्यक्ष महोदया से मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया। आदिवासी छात्रावास बिछुआ की छात्राओं द्वारा क्षेत्रीय आदिवासी गायन एवं नृत्य का मनमोहक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में लगभग 1000–1500 आदिवासी आसपास के विभिन्न गांवों से पधारे थे। माननीय उपाध्यक्षा महोदया द्वारा अपने संबोधन में आयोग की उपरोक्त वर्णित कार्य प्रणाली व उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें अपने परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया गया और विकास हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने पर बल दिया गया। साथ ही उनके द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया कि यदि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई बाधा या समस्या आती है तो वे आयोग से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में आयोग सभी आदिवासी लोगों की पूरी मदद करेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ उक्त सम्मेलन समाप्त हुआ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi